



2026:AHC-:26211-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2184 / 2026

अकील खान व 5 अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मोहम्मद वसीम

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किया गया संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री जुलेखा बेगम को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि वैवाहिक विवाद के कारण आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि, बाद में परिवार के सम्मानित सदस्यों और समाज के हस्तक्षेप से, पक्षों के बीच विवाद सौहार्दपूर्ण और वास्तविक रूप से सुलझ गया है और अब उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे न्यायालय का ध्यान पक्षों के बीच हुए समझौता पत्र दिनांक 20.12.2025 की ओर आकर्षित किया, जिसकी प्रति रिट याचिका के संलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न की गई है। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि उक्त समझौते के अनुसरण में, याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने संबंधों को ठीक कर लिया है और अब परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच हुए उक्त समझौते के दृष्टिगत और उनके बीच सामंजस्यपूर्ण तथा मधुर संबंध बनाए रखने के लिए, आक्षेपित एफ.आई.आर. को निरस्त किया जाए।
5. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित हुए हैं और उन्होंने समझौता शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार किया गया है। यह आगे कहा गया है कि समझौते के दृष्टिगत, वह मामले में आगे मुकदमा नहीं चलाना चाहती हैं। निर्देशों के आधार पर आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त की जाती है, तो प्रतिवादी संख्या 4 को कोई आपत्ति नहीं है।
6. विद्वान ए.जी.ए. उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह न्यायालय माननीय शीर्ष अदालत द्वारा निम्नलिखित मामलों में पारित निर्णयों के प्रति अनभिज्ञ नहीं है :-

(i) बी.एस. जोशी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, (2003) 4 एससीसी 675.

(ii) निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2008) 9 एससीसी 677.

(iii) मनोज शर्मा बनाम राज्य व अन्य, (2008) 16 एससीसी 1.

(iv) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303.

(v) नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466.

(vi) पर्वतभाई अहीर @ पर्वतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641.

(vii) मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण, (2019) 5 एससीसी 688.

(viii) के. भारती देवी व अन्य बनाम तेलंगाना राज्य व अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2695.

जिसमें माननीय शीर्ष अदालत ने सुस्पष्ट रूप से यह माना है कि कुछ संज्ञेय और अशमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षों के बीच समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा सैफुल्ला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [2013 (83) एससीसी 278] में दिए गए निर्णय का संदर्भ भी लिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त मामलों में माननीय शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित कानून को विस्तार से समझाया गया है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को देखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि वर्तमान मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

9. तदनुसार, थाना- हाफिजगंज, जनपद- बरेली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 335 / 2025, अंतर्गत धारा 85, 75, 115(2), 352 बी.एन.एस. एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम से उद्भूत आक्षेपित एफ.आई.आर. दिनांक 30.07.2025 को निरस्त किया जाता है।

10. प्रस्तुत रिट याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है।

5 फरवरी, 2026

केएम

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"